तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/20	पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र एतराज मौका कमिश्नर दिनांक 27/12/19 हेतु पेश हुआ। नकल प्रतिपक्षी अधिवक्ता को दिलाई गयी। बहस प्रा०पत्र बाबत प्रकरण को निरस्त किया जाने दिनांक 22-11-19 पर उभय पक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण (अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3) ने प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि ख०न० 1781 तन ग्राम दायरा बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त कर जो रिपोर्ट मंगवायी थी उस रिपोर्ट में मौका कमिश्नर ने भूमि ख०न० 1781 में व आस पास में आवासिय कोलोनी बसी होना बताया है जिसके कारण निरिक्षण किया जाना संभव नहीं होना बताया है। अतः वाद ग्रस्त भूमि काश्त योग्य नहीं है कृषि से भिन्न कार्य में उपयोग में ली जा रही है इसलिए धारा 170 के तहत कार्यवाही कर खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिया जावे। अतः स्थगन आदेश खारीज कर ख०न० 1781 बाबत धारा 170 के तहत कार्यवाही की जावे। वकील अप्रार्थीगण (प्रार्थीगण) ने जवाब	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	में प्रार्थीगण (अप्रार्थीगण 1ता3) के कथनों के विरोध में कथन किया कि भूमि ख०न० 1781 में कोई आवासिय कोलोनी नहीं बनी हुई है ना ही भूमि ख०न० 1781 के खातेदारान अपनी इस भूमि में से किसी भी व्यक्ति या अप्रार्थीगण को बेचान की है। अप्रार्थीगण 1ता3 ने भूमि ख०न० 1780 में से आवासिय भूखण्ड खरीद कर जबरन भूमि ख०न० 1781 में कब्जा कर लिया है जिस हेतु बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय द्वारा में पेश कर रखा है तथा विचाराधीन है। प्रार्थीगण (अप्रार्थीगण न० 1ता3) की ओर से प्रा र्थना पत्र धारा 170 का पेश हुआ है जो कौन से अधिनियम की धारा में पेश हुआ है। अंकित नहीं किया गया है इसलिए प्रथम द्रष्टया ही प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। भूमि ख०न० 1781 में व आस पास में आवासिय मकान होना अंकित किया है लेकिन किसमें मकान बने हुए है अंकन नही किया है। अप्रार्थीगण किस आधार पर व किस कानून के तहत खातेदारी निरस्त कराना चाहता है। दर्ज नही किया है अतः प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण निरस्त किये जाने खारीज
	[signature]

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहकाम हुक्म की तालीम में जारी हुए

फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्षकारान अधिवक्ता गण की सुनी गयी। प्रार्थीगण (अप्रार्थीगण स०1 ता 3) ने ख०न०1781 में खातेदारी अधिकार धारा 170 के तहत कार्यवाही करने का निवेदन किया है। धारा 170 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि खातेदारी अधिकार समाप्त किया जावे अत: प्रा०पत्र दिनांक 22.11.19 सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

बहस प्रा०पत्र दिनांक 27-12-19 बाबत नियुक्ति मौका कमिश्नर पर सुनी गयी। दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि भूमि ख०न० 1781 रकबा 0.22 हे० तक ग्राम दापरा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश पारीत किया गया था श्रीमान तहसीलदार साहब ने मनमाने रूप से भूमि ख०न० 1781 में आवासिय कालोनी/मकान बने होने के कारण मौका निरिक्षण रिपोर्ट बनाया जाना सम्भव नहीं होने की रिपोर्ट भेजी है। प्रार्थीगण प्रकरण हाजा में अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ख०न० 1781 की सीमाओं की व भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाना चाहता है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
	अतः प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका कमिश्नर स्वीकार किया जाकर पुनः मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावे। वकील प्रार्थीगण के कथनों के विरुद्ध वकील अप्रार्थीगण 1 ता 3 ने बहस में बताया कि वाद ग्रस्त भूमि ख० नं० 1781 के साथ-साथ ख० नं० 1782 से 1786 की भूमि पर छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर मुख्य भूमि पर ... निर्माण किया जा चुका है एवं खातेदार बिना संपरिवर्तन एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग नहीं ले सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर भूमि ख० नं० 1781 से 1785 तक ग्राम दामरा के खातेदारी अधिकार समाप्त कर सिवायचक भूमि दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। हमने बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 27/7/19 पर उभय पक्षकारान सुनी तथा उस पर गौर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपनी कब्जा की भूमि का कब्जा दिखाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाने बाबत पेश किया जाना प्रतीत होता है एक ही भूमि का बार-बार मौका कमिश्नर नियुक्त किया जा[ना]

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	उचित नहीं है। प्रार्थीगण अपने साक्ष्य सबूत मूल दावे मे पेश कर अपने अधिकार सिद्ध करे। प्रा०पत्र ऐतराज मौका कमिश्नर खारीज किया जाता है। बहस प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभय पक्ष सुनी गयी तथा उस पर सगोर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तथा न्यायालय इस नतिजे पर पहुंची है कि भूमि ख०न० 1780 तन ग्राम दायरा तहसील खण्डेला प्रार्थीगण की भूमि नहीं है जबकी भूमि ख०न० 1781 प्रार्थीगण की खातेदारी में है अत: मूल वाद के निर्णय तक कोई हस्तक्षेप नहीं करे। अप्रार्थीगण भूमि ख०न० 1780 तन ग्राम दायरा के उपयोग उपभोग के लिए स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो 3.1.20 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	